

5.5.25

पत्रावली पेश हुई। वडी कश्चिक्का उपस्थित वडी

द्वारा भोगा जने पर साक्ष्य हेतु अन्तिम अवसर सुभोर

दिया जाता है।

पत्रावली वाले साक्ष्यवादी दिनांक 22.5.25 को पेश

हा।

22.5.25 पत्रावली पेश हुई। वारी कश्चिक्का  
उपस्थित। पत्रावली वाले साक्ष्यवादी  
दिनांक 17.6.25 को पेश हों।



17.6.25.

पत्रावली पेश हुई। वडी कश्चिक्का उपस्थित।

प्रकरण लम्बे समय से लाक्ष्यवादी हेतु निरत है परन्तु  
वडी द्वारा लम्बे समय से लाक्ष्य पेश नहीं किया गया है।  
न्यायालय द्वारा ककु-कुकुर कई बार द्वागजे लगावई  
गई बावजूद कोई उपस्थित नहीं हुआ जितले जाहिर है  
कि वह प्रकरण के प्रति गंभीर नहीं है तथा वाड चलान नहीं  
चाहते है।

अतः वडी का वाड आदेश 9 नियम 8 के तहत  
क्राइम होगरी - क्राइम फैंची के त्वाजि किया जाता है निर्णय  
बोर्ड इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैंसलशुमार होकर नम्बर  
से क्रम हों।

(सोनिडा कुम)

उपखण्ड अधि  
निर्वा. उदयपुर